



झाँसी नगर निगम, झाँसी कार्यालय नगर आयुक्त, झाँसी

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, JHANSI

e-mail: nagarayukta@jnnjhansi.com

Office Contact No:0510-2332097

संख्या ३२५/।/अ०न०आ०/न०नि०/२०१९-२०

दिनांक: १२/०९/२०१९



कार्यालय ज्ञाप

ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियमावली— 2016 के अन्तर्गत निर्माण और ढहाव अपशिष्ट का निस्तारण किया जाना स्थानीय निकाय के दायित्वों में शामिल है। प्रायः देखा जा रहा है कि नगर के विभिन्न मार्गों पर मकानों एवं निर्माण का मलवा यत्र-तत्र पड़ा रहता है इससे जहाँ एक तरफ सफाई व्यवस्था वाधक होती है वही दूसरी तरफ शहर की सुन्दरता प्रभावित होती है। उपरोक्त परिस्थिति को दृष्टिगत करते हुये निर्माण एवं ढहाव अपशिष्ट के निस्तारण के लिए निम्न व्यवस्थाएँ प्रतिपादित की जाती हैं।

१. कन्ट्रोल रूम नं०-

टोल फी नम्बर १८००१८०५१५० कन्ट्रोल रूम में सूचना दिये जाने के उपरान्त नियमानुसार शुल्क जमाकर निर्माण के उपरान्त नियमानुसार शुल्क जमाकर निर्माण एवं ढहाव का अपशिष्ट संग्रहित कर निस्तारण स्थल तक ले जाया जायेगा।

२. नगर निगम द्वारा नामित डम्पर एवं जे०सी०बी०

जे०सी०बी० – UP 93 BT 8172

डम्पर – UP 93 AT 5394

– UP 93 AT 5398

कन्ट्रोल रूम तथा सम्बन्धित अधिकारी द्वारा सूचना दिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित वाहनों के चालक स्थल से मलवा संग्रहित कर निस्तारण स्थल तक परिवहन करेंगे।

३. नागरिकों द्वारा दिया जाने वाले शुल्क

निर्माण एवं ढहाव अपशिष्ट परिवहन के लिये नागरिकों/निवासियों द्वारा प्रति डम्पर 1000 रुपये का शुल्क लिया जायेगा। परिवहन शुल्क की रसीद/शुल्क जमा किये जाने के उपरान्त ही मलवा का परिवहन किया जाना सम्भव होगा। उक्त शुल्क नगर निगम कर्मशाला विभाग में जमा किया जायेगा।

४. निर्माण एवं ढहाव अपशिष्ट हेतु आराजी सं० १२९३ मौजा करारी, झाँसी को चिन्हित किया गया है जहाँ उक्त अपशिष्ट का परिवहन किया जायेगा।

उपरोक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी तथा कर्मशाला एवं स्वास्थ्य विभाग समन्वय करते हुये प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा निर्माण एवं ढहाव अपशिष्ट का उचित भण्डारण एवं नगर निगम के निर्देशों के अनुरूप निस्तारण नहीं किया जाता है तो मा० एन.जी.टी. के निर्देशों/नगर निगम अधिनियम के अनुसार भारी जुर्माना तथा दण्ड की कार्यवाही की जायेगी।

(मनोज कुमार)

आई.ए.एस

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:-

१. मा० महापौर जी को सादर सूचनार्थ।
२. समस्त अपर नगर आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
३. मुख्य अभियन्ता निर्माण को इस निर्देश के साथ कि उक्त स्थल को वाऊण्डी आदि की व्यवस्था करायें।
४. नगर स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु
५. कर्मशाला प्रभारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर आयुक्त
झाँसी नगर निगम, झाँसी।